

फर्द अहकाम
 उमाशंकर बनाम राजाराम शंकर

महाराष्ट्र न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) अमरे
 मुख्यस्थान-जयपुर

व्या 54/2014 (ए-मार्च)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02/11/14	<p>की को तो उपस्थित प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपील ग्राह्य 1, 2 को विरुद्ध प्रतय्या वापस करके उ कोदेशा दिए जाते हैं। पत्रावली जस्टिस वरुण प्रार्थनापत्र ए. मार्च दिनांक 14/5/15 को देखा है।</p> <p align="right">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) अमरे मुख्यस्थान-जयपुर</p>	
14/5/15	<p>पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता प्रार्थनापत्र उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र ए. मार्च। हेतु अधिवक्ता प्रार्थनापत्र द्वारा अपील वापस गयी है। अतः पत्रावली जस्टिस वरुण प्रार्थनापत्र ए. मार्च दिनांक 28/05/15 को पेशा है।</p> <p align="right">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) अमरे मुख्यस्थान-जयपुर</p>	
28/5/15	<p>पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता प्रार्थनापत्र उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र ए. मार्च पर सुनी गई।</p> <p>प्रार्थनापत्र अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र को द्वार से निकट ग्राम सींगवाना तहसील को जिला जयपुर स्थित राजाजी भूमि खपरा नं. 649, 650 कुलरकरा क्रमा 2 कुलरकरा 1.01 है. (कोई ग्राम सींगवाना तहसील) जो कि राजाजी रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम पर रिकॉर्ड है. तदनुसार में कानून प्रतिकूल कहे जा (उपरोक्त प्रार्थनापत्र) के आधार पर काबिल वास्तुकार खपरा</p> <p align="right">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) अमरे मुख्यस्थान-जयपुर</p>	<p align="right">P. T. O.</p>



